राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : अंकित कुमार सिंह (आई.ए.एस)

प्रकरण सख्या :–69 / 2025 दायर दिनांक :–22.07.2025

जीसीएमएस नं.–2025 / 214 निर्णय दिनांक :–18.02.2026

1. श्री देवीलाल पुत्र वालजी डामोर, निवासी–शिशोट तहसील–चिखली जिला डूंगरपुर

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति शान्ति पत्नि बापू मीणा, निवासी–शिशोट तहसील–चिखली जिला–डूंगरपुर
2. श्री बापू पुत्र लाखा मीणा निवासी–शिशोट तहसील–चिखली जिला–डूंगरपुर
3. श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार, तहसील चिखली जिला डूंगरपुर

विपक्षीगण

उपस्थित :–

1. श्री प्रवीण शुक्ला, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री नरेश जोशी, अधिवक्ता विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य यह है कि प्रार्थी जन प्रतिनिधि होने तथा प्रार्थी को गांव शिशोट तहसील चिखली जिला डूंगरपुर के ग्रामवासियों द्वारा मौजा शिशोट के खसरा संख्या 371 की भूमि जो कि गांव कि लोकप्रयोजन की भूमि है का आवंटन विपक्षीगण द्वारा तथ्यों को छिपा कर कपटपूर्वक आवंटन करा लिया है जिसका नया नम्बर 1084 / 371 है। उवत आवंटन को निरस्त करने हेतु ग्रामिणो द्वारा अधिकृत किया है। ग्राम शिशोट का खसरा संख्या 371 की कुल भूमि 10 बीघा 8 बिस्वा भूमि थी जिसमे से 3 बीघा 10 विस्वा भूमि मे से आवंटन सलाहकार समिति उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर द्वारा केम्प शिशोट द्वारा जरिए मिसल नम्बर 1086 दिनांक 17.06.2002 को विपक्षीगण द्वारा करा लिया गया है। उक्त भूमि पर काश्त नहीं कि जा सकती है तथा न ही विपक्षीगण द्वारा कभी काश्त की गई है उक्त आवंटीत भूमि मे पानी वर्ष भर, भरा रहता है तथा उक्त पानी का उपयोग ग्रामिणजन स्वयं व अपने पशुओं को पानी पिलाने हेतु उपयोग वर्षों से करते आ रहे है। उक्त भूमि मे पानी संग्रहण को बढ़ाने के लिए तथा पानी अत्यधिक इकट्ठा हो सके व अधिकतम जनता व गांव के पशुपालक लाभान्वित हो सके इस मंशा से तत्कालीन ग्राम पंचायत कोचरी द्वारा पुलिया निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 05.01.2007 को जारी की है। इसके अलावा तत्कालीन ग्राम पंचायत कोचरी द्वारा ही चेक डेम भी बनाया है इससे स्पष्ट है कि इस तथाकथित आवंटित भूमि पर आवंटी का कभी कब्जा नही रहा है, तथा न ही आवंटन कमेटी द्वारा कब्जा सुपुर्द किया है तथा आवंटन की शर्तों के अनुसार कृषि नही की गई है तथा न ही कृषि की जा सकती है। कच्चे चेक डेम के नीचे से ग्राम पंचायत द्वारा सी०सी० सडक भी बनाई है। उक्त आवंटन के कुछ भाग पर हीरा पिता वालजी डामोर व शमा पिता हीरा डामोर के मकान भी आवंटन पूर्व से बने हुए है। उक्त आवंटन कार्य मे आवंटी शांति के न तो हस्ताक्षर है निर्णय आवंटन उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर दर्शा रखा है जबकि उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर उक्त कमेटी मे नही थे। उक्त कागजी आवंटन के आधार पर ही विपक्षीगण को गैर खातेदारी व खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए गैर खातेदारी अधिकार व खातेदारी अधिकार के समय राजस्व कर्मियो द्वारा किसी प्रकार की मौके पर आवंटी के कब्जे बाबत् जांच नही की है। विपक्षीगण द्वारा विवाद करने व लडाई झगडा करने उतारू हुआ तब विपक्षी ने भूमि उसके नाम होने की जानकारी दी तो प्रार्थी द्वारा आवश्यक नक्शे निकलवाने पर ग्रामिणो को उक्त भूमि आवंटीत होने की जानकारी हुई। आवंटन के बाद लगभग 23 वर्ष हो गये है विपक्षीगण द्वारा कभी खेती नहीं की है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जो विकास कार्य किए है उसमे भी कोई आपत्ति नहीं की गई है तथा अब विपक्षीगण आवंटन के आधार पर सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है व गांव मे लोकप्रयोजन की भूमि से गांववासियो को

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना निहायत ही आवश्यक व न्यायसंगत है। अतः विपक्षी को जरिए मिसल नम्बर 1086 के दिनांक 17.06.2022 को कैम्प शिशोट ने मौजा कोचरी के वर्तमान खसरा नम्बर 1084/371 मे 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवटन निरस्त किया जाने निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस जवाब देही तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा लोक हित मे प्रार्थना पत्र पेश करना बताया जा रहा है लेकिन लोक हित के प्रार्थना पत्र या वाद किस तरह से पेश किए जाएगें उसके संबध मे दिवानी प्रक्रिया संहिता मे स्पष्ट उल्लेखित किया गया है जिसकी किसी प्रकार से पालना नही किए जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। ग्रामीणों द्वारा आवंटन निरस्त करने अधिकृत किया गया हो आदि सभी बातें मनगढंन्त अंकित की गई है। किसी भी लोक प्रयोजन की भूमि के आगे स्पष्ट रुप से लोक प्रयोजन की भूमि होना अंकित होता है लेकिन आवंटन शुदा भूमि लोक प्रयोजन की भूमि नही होने से और विपक्षीगण भुमि आवंटन कराने के पुर्ण पात्र होने से ही उनको भूमि का आवंटन किया गया है। खसरा नम्बर 371 की 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि मे से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मिसल नम्बर 1068 के जरिए विपक्षीगण को किया गया है। मौके पर कब्जा विपक्षीगण का होकर विपक्षीगण द्वारा काश्त की जाती आ रही है तथा इसी आधार पर गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है और कब्जा स्वामित्व के आधार ऋण भी प्राप्त किया गया है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत का वार वार उल्लेख किया जा रहा है लेकिन उसके द्वारा ग्राम पंचायत को विधि अनुसार नोटिस नही दिया गया है और ना विधि अनुसार पक्षकार बनाया है। यहां यह भी उल्लेखित किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के साथ चेक डेम निर्माण के कागज पेश किए है लेकिन उसमे भूमि के संबध में कोई स्पष्ट खसरा नम्बर नजर नही आ रहे है जबकि जो भी चेक डेम का निर्माण होता है उसमे किस भूमि मे निर्माण के लिए राशी जारी की जा रही है स्पष्ट अंकन होता है। तथा चेक डेम निर्माण से पहले से पहले ही भूमि का आवंटन किया जा चुका था अगर विपक्षीगण की भूमि मे चेक डेम निर्माण की बात होती तो राज्य सरकार द्वारा भूमि को अवाप्त किया जाता। श्री हीरा व शमा द्वारा मौके पर कुछ हिस्से पर अतिक्रमण पर उनके खिलाफ न्यायालय मे मुकदमा पेश किया गया जो विचाराधीन है। प्रार्थी गलत रुप से अपने कथनो को साबित करने का प्रयास कर रहा है तथा उसको डूंगरपुर को काटा जाकर जो कटिंग अटेस्टेड किया गया है वह नजर नही आ रहा है तथा इसी प्रकार उपर निर्णय भूमि आवंटन सलाहकार समिति शिशोट का स्पष्ट अंकन किया गया है, तहसीलदार चिखली सीमलवाडा का भी स्पष्ट अंकन है। प्रथम तो प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार ही नही है यदि ऐसी कोई बात होती तो तहसीलदार या राज्य सरकार की और से प्रार्थना पत्र पेश किया जाता बल्कि प्रार्थी इस मुकदमे की आड मे विपक्षीगण से राशी हडपना चाहता है इस कारण यह झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी स्वयं विवाद करने लगा और स्वयं को स्वयंभु नेता बताते हुए विपक्षीगण को जमीन से हट जाने हेतु कहने लगा अन्यथा विपक्षीगण को जान से खत्म करने धमकीयों देने लगा और कहने लगा की विपक्षीगण प्रार्थी को पचास हजार रु. दे देवे अन्यथा प्रार्थी विपक्षीगण को कानुनी कार्यवाही के जरिए परेशान करेगा। विपक्षीगण द्वारा कोई नुकसान पहुँचाया होता तो राज्य सरकार की और से विपक्षीगण के विरुद्ध कानुनी कार्यवाही की जाती है। विपक्षी संख्या 3 के प्रस्तुत जवाब में मौजा शिशोट जमाबन्दी संवत 2075–78 खाता संख्या 115 ख.नं. 1084/371 क्षेत्र 0.5663 है0 किस्म सुखी तृ. खातेदार बापु पुत्र लखा हिस्सा 1/2 मीणा, शांति पत्नी बापु हिस्सा 1/2 मीणा राजस्व रेकार्ड दर्ज है। उक्त भूमि जरिए मिसल नम्बर 1086 दिनांक 17.06.2002 को कैम्प शिशोट में आवंटन हुई थी। उक्त भुमि में विवाद होने से वर्तमान में कोई काश्त नहीं कि गई है। मौके पर उपस्थित सरपंच, पूर्व सरपंच, वार्डपंच एवं उपस्थित मौतबिरानो से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त भूमि पूर्व में पशु चराने एवं जल संग्रहण हेतु सुरक्षित रखी गई थी। वर्तमान में उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित दो सी.सी. सडके गुजर रही है व एक पुलिया भी निर्मित किया गया है। उक्त खसरे में लगभग 15 बिस्वा भूमि पर विपक्षीगण का कब्जा है व लगभग 0.3557 है० भूमि पर प्रार्थीगण के मकान व काश्त की जा रही है। उक्त खसरे में से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सी.सी. सडके व पुलिया बने हुए है। एवं पत्थरों से निर्मित चेकडेम पर वृक्ष लगे हुए है। गांव के उपस्थित सभी मौतबिरानो ने उक्त भूमि को सार्वजनिक उपयोग हेतु उक्त खसरे को भूमि को सर्वहीत में आवंटन निरस्त हेतु निवेदन किया गया है।

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

उभयपक्षो कि बहस सुनी। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि उक्त भूमि कृषि के लायक नही होने तथा वहा पानी भरा रहता है जो पशुओ के पानी पीने हेतु उपयोग किया जाता है। पंचायत द्वारा पानी हेतु चेक डेम भी बनाया है। विपक्षीगण को कब्जा सुपुर्द नही किया है। पंचायत द्वारा चेक डेम वनाया तथा जब सडक निकाली तव विपक्षीगण द्वारा विरोध क्यो नही किया। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर विपक्षीगण का कब्जा नही है। अतः उक्त आवंटन निरस्त किया जावे। विपक्षीगण के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब को दौहराते हुए कथन किया कि मौके पर कब्जा विपक्षीगण का होकर विपक्षीगण द्वारा काश्त की जाती आ रही है तथा इसी आधार पर गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। विपक्षीगण को आवंटित शुदा भूमि पर कोई डेम नहीं बनाया है। मूल खसरा नम्बर 871 कुल 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि थी जिसमे में से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन के बाद भी 5 बीघा भूमि शेष रहती है, लेकिन प्रार्थी द्वारा गलत रूप से विपक्षीगण की भूमि में डेम होना बताया जा रहा है। पटवारी स्वयं द्वारा अपनी रिपोर्ट में आरक्षित भुमि नही होना और तालाब पेटे की नदी या नाले की भूमि नहीं होना रपष्ट अंकित किया गया है। यानि आवंटन शुदा भूमि आवंटन योग्य होने से ही आंवटित की गई थी और अब आवंटन के 23 वर्ष गुजर जाने के बाद यह गलत प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं जो निरस्त योग्य है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं जवाब का अवलोकन किया एवं उभयपक्षो की ओर से प्रस्तुत बहस पर मनन किया। तहसीलदार चिखली द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं संलग्न पर्चा मौका अवलोकन से पाया जाता है कि विपक्षीगण आवंटित भूमि में सी.सी. सडके एवं पुलिया निर्मित है तथा चेक डेम बना हो वृक्ष लगे हुये है। इस प्रकार आवंटित भूमि का सार्वजनिक उपयोग होने से तथा काश्त नही होकर आवंटन शर्तो की पालना नही होने से आवंटन निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, तथा विपक्षीगण को आवंटित भूमि मौजा शिशोट के खसरा नं. 1084/371 रकबा 3 बिघा 10 बिस्वा अर्थात 0.5663 हैक्टर का आवंटन निरस्त किया जाता है। निर्णयानुसार पालना हेतु संबंधित को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

(अंकित कुमार सिंह),
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

जिला कलक्टर
डूंगरपुर (राजस्थान)